REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 3 | DECEMBER - 2018

"सांसद आदर्श ग्राम योजना" का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था परप्रभाव का समीक्षात्मक अध्ययन

Dr. Pramod Fating
Associate Professor,
Yashoda Girls Arts & Commerce, Nagpur.

सारांश:-

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि और कृषिको का भूमिका को नकारा नहीं जा सकता इसी को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी की मान्यता थी कि यदि भारत के गांव समाप्त हो जाते हैं तो भारत का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा उन्होंने ना केवल ग्राम स्वराज्य को समर्थन दिया बल्कि ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनाया इसीके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी जी ने **11** अक्टूबर **2014** को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर "सांसद ग्राम आदर्श योजना "की शुरुआत की इस योजना में गांव के विकास के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख किया **।** सांसद आदर्श ग्राम में बुनियादी विकास कुछ ऐसे होंगे कि यह दूसरों के लिए आदर्श बनेंगे, एक आदर्श ग्राम के शिक्षक और ट्रेनर दूसरे आदर्श ग्राम को विकसित करने में मदद करेंगे, समग्र विकास जोड़ दिया जाएगा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध होगी, सूचना तकनीकों से लैस स्कूल होंगे ,बैंक पोस्ट ऑफिस से लेकर एटीएम गांव में गुड गवर्नर की झलक रहेगी सभी का स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध की जाएगी इसके मद्देनजर विभिन्न योजनाओं का समावेश किया जाएगा एवं कारपोरेट सामाजिक दायित्वका और राज्यजिला और राष्ट्रीयस्तर के योजनाओं को इसमें सम्मिलित किया जाएगा **।**

प्रस्तावना:-

भारत के राजनीतिक नेतृत्व के औपचारिक काल के दौरान भी देश के समग्र विकास के लिए ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की जरूरत को समझ लिया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मान्यता थी कि यदि भारत के गांव समाप्त हो जाते हैं तो भारत का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा उन्होंने ना केवल ग्राम स्वराज्य को समर्थन दिया बल्कि ग्रामीण विकास को अपने रचनात्मक कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनाया, वर्धा प्रयोग इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर ने भी श्री निकेतन परियोजना शुरू की थी बाद में **1960** के दशक में केंद्रीकृत गांव की आदर्श गांव के रूप में पहचान की गई तथा पि यह प्रयोग राजनैतिक शिक्षा के अभाव के कारण सफल नहीं हुआ, **NSS** योजना के तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के द्वारा एक गांव को गोद लेने का प्रोग्राम भी शुरू किया गया इस पहल को भी खास सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि इस योजना को क्रियान्वित करने वाले व्यक्तियों में प्रतिबद्धता का अभाव था**।** ऐसे प्रयोग केंद्रीय व राज्यस्तर पर बीसवीं सदी के अंतिम दशक और वर्तमान शताब्दी के किए

गए मायावती के शासनकाल में संशोधित अंबेडकर ग्राम विकास योजना शुरू की गई थी इसका उद्देश्य दलित बहुसंख्यक गांव में स्कीमों को मिलाना था प्रधानमंत्री आदर्श ग्रामयोजना वर्ष **2010** में **50%** से अधिक दलित आबादी वाले **44,000** गांव में शुरू की गई थी वर्ष **2012** में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार ने अंबेडकर ग्राम विकास योजना के तहत मानसरोवर लोहिया समग्र विकास योजना शुरू की यह सभी कार्यक्रम एजेंसियों में ईमानदारी एवं निष्ठा के अभाव के कारण अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी जी ने **11** अक्टूबर **2014** को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती की पूर्व संध्या पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की इस योजना को उनकी जयंती के दिन इसलिए शुरू किया गया क्योंकि लोकनायक की ग्रामीण विकास कि गांधीजी की विचारधारा में गहरी प्रतिबद्धता थी इसके अनुसार भारत राजनीतिक रूप से स्वतंत्र और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर गांव एक राष्ट्र बनने का सामर्थ्य रखता है इस योजना में संसद के प्रत्येक सदस्य,सासद को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में **1** गांव को गोद लेना होगा और उसे **1** वर्ष के भीतर आदर्श गांव के रूप में विकसित करना होगा लोकसभा का सदस्य मैदानी स्तर पर **3000** से **5000** और पर्वतीय क्षेत्रों में **1000** से **3000** की आबादी वाले किसी भी गांव का चयन कर सकता है राज्यसभा का सदस्य उस राज्य जिसका प्रतिनिधित्व करता है के किसी भी गांव को चुन सकता है इस उद्देश्य के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्रविकास योजना को केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं में मिला दिया जाएगा इस परियोजना के लिए एक विस्तृत निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा पहली समीक्षा किसी स्वतंत्र अभिकरण द्वारा **5** महीने के पश्चात की जाएगी जिलाधीश बेस लाइन सर्वे करके और उसके द्वारा उसकी प्रगति को मॉनिटर करने के लिए मानसिक समीक्षा बैठक की जाएगी राज्यस्तर पर प्रमुख सचिव किसी पर एक अधिकार प्राप्त समिति का नेतृत्व करेंगे और ग्रामीण विकास मंत्री और ग्रामीण सचिव राष्ट्रीय स्तर की समिति के अध्यक्ष के रूप में इस योजना की निगरानी करेंगे.

ROLES AND RESPONSIBILITIES OF KEY FUNCTIONARIES

Level	Functionary	Key roles and responsibilities
National	Member of Parliament	Identify the Adarsh Gram Facilitate the planning process Mobilise additional funds Monitor the scheme
	Two committees, headed by the Minister of Rural Development, and Secretary, Rural Development, respectively.*	Monitor the process of identification and planning Review the implementation of the scheme Identify bottlenecks in the scheme Issue operational guidelines Indicate specific resource support which each Ministry can provide
State	A committee headed by the Chief Secretary	Supplement central guidelines for the scheme Review Village Development Plans Review implementation Outline monitoring mechanisms Design a grievance redressal mechanism for the scheme

District	District Collector	Conduct the baseline survey Facilitate the preparation of the Village Development Plan Converge relevant schemes Ensure grievance redressal Monthly progress review of the scheme
Village	Gram Panchayat and functionaries of schemes (at various levels)	Implement of the scheme Identify common needs of the village Leverage resources from various programmes Ensure participation in the scheme

स्त्रोत:- कुरुक्षेत्र २०१४ नोव्हेंबर ,ग्रामीणविकास को समर्पित,**page no. 23**

सांसद आदर्श ग्राम योजना की मान्यताएं :-

- **लोगों की भागीदारी को स्वीकार करना जैसा समस्याओं का अपने आप में समाधान सुनिश्चित करें**
- अंत्योदय का पालन करें- गांव के 'सब से गरीब और सबसे कमजोर व्यक्ति को अच्छी तरह जीवन जीने के लिए सक्षम बनाएँ।
- लैंगिक समानता और महिलाओं के लिए सम्मान सुनिश्चित करें।
- सामाजिक न्याय की गारंटी को सुनिश्चित करें।
- श्रम की गरिमा और सामुदायिक सेवा और स्वैच्छिकता की भावना को स्थापित करें।
- सफाई की संस्कृति को बढ़ावा दें।
- प्रकृति के सहचर के रुप में रहने के लिए-विकास और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन सुनिश्चित करें।
- स्थानीय सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और प्रोत्साहन दें।
- आपसी सहयोग, स्वयं सहायता और आत्मनिर्भरता का निरंतर अभ्यास करना।
- ग्रामीण समुदाय में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना।
- सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी बरतना।
- स्थानीय स्वशासन की भावना को विकसित करना।
- भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों में प्रतिष्ठापित मूल्यों का पालन करना।

उद्देश्य :-

1. पहचानी गईं ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के लिए नेतृत्व की प्रक्रियाओं को गति प्रदान करना।

2. जनसंख्या के सभी वर्गों के जीवन की गुणवत्ता के स्तर में सुधार निम्न माध्यमों से करना

- बुनियादीसुविधाएंमेंसुधार
- उच्चउत्पादकता
- मानव विकास में वृद्धि करना
- आजीविका के बेहतर अवसर
- असमानताओं को कम करना

- अधिकारों और हक की प्राप्ति
- व्यापक सामाजिक गतिशीलता
- समृद्ध सामाजिक पूंजी

3. स्थानीय स्तर के विकास और प्रभावी स्थानीय शासन के मॉडल इस प्रकार बनाना जिससे आस-पड़ोस की पंचायतें प्रेरित और प्रोत्साहित होकर उन मॉडल को सीखने और अपनाने के लिए तैयार हों।

4. चिंहित आदर्श ग्राम को स्थानीय विकास के ऐसे केंद्रों के रुप में विकसित करना जो अन्य ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षित कर सकें।

गतिविधिया :-

- आदर्श गाव का पैमान
- समग्र विकास पर जोर
- विश्व स्तरीय स्वस्थ एव शिक्षण सुविधा
- सूचनातकनीकी से
- बँक,पोस्ट ऑफिस से लेकर तक

समीक्षात्मक अध्ययन:-

योजना के तहत **2014** से **2019** के बीच चरणबद्ध तरीके से सांसदों को तीन गांव गोद लेने थे और **2019** से **2024** के बीच पांच गांव गोद लेने की बात कही गई है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिये अलग से कोई आवंटन नहीं किया जाता है और सांसदों को सांसद निधि एम.पी.लैड के कोष से ही इसका विकास करना होता है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस योजना के तहत अरूणाचल प्रदेश, बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब में सांसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यों का क्रियान्वयन खराब पाया गया है। अरूणाचल प्रदेश में गोद ली गईं **7** ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास की **216** परियोजनाओं में से **28** योजनाएं

ही पूरी हुई हैं जबकि असम में गोद ली गई **35** ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास की **2,229** परियोजनाओं में से केवल **580** योजनाएं ही पूरी हो सकीं हैं। बिहार में ऐसी **82** ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास की **4817** परियोजनाओं में से **1614** योजनाएं ही पूरी हो सकीं हैं।इसी प्रकार, दिल्ली में गोद ली गई **13** ग्राम पंचायतों में कोई ग्राम विकास योजना अपलोड नहीं की गई है। हिमाचल प्रदेश में गोद ली गईं **14** ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास की **1291** परियोजनाओं में से **420** योजनाएं ही पूरी हुई। कर्नाटक में ऐसी **57** ग्राम पंचायतों में **9,650** ग्राम विकास योजनाओं में से **5,085** योजनाएं पूरी हुई।आंकड़ें बताते हैं कि केरल में गोद ली गईं **82** ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास की **4,270** परियोजनाओं में से **1,963** योजनाएं पूरी हुई। ओडिशा में ऐसी ग्राम पंचायतों की संख्या **47** थी जहां **941** ग्राम विकास योजनाओं में से **170** योजनाएं पूरी हुई। पंजाब में **32** ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास की **815** परियोजनाओं में से सिर्फ **257** योजनाएं पूरी हुई। बाकी राज्यों का हाल भी कोई अधिक बेहतर नहीं था। पश्चिम बंगाल में गोद ली गईं ग्राम पंचायतों की संख्या **9** थी जहां **61** ग्राम विकास योजनाएं बनी लेकिन इनमें से कोई योजना पूरी नहीं हुई। तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना जैसे राज्यों में इस योजना का क्रियान्वयन काफी अच्छा रहा है। तमिलनाडु में गोद ली गईं ग्राम पंचायतों की संख्या **159** थी जहां **5,282** ग्राम विकास योजनाओं में से **4,591** योजनाएं पूरी हुई। तेलंगाना में गोद ली गईं **45** ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास की **1765** योजनाओं में से **893** योजनाएं पूरी हुई। गुजरात में गोद ली गईं **75** ग्राम पंचायतों में **1551** ग्राम विकास योजनाओं में से **1241** योजनाएं ही पूरी हुई। मध्यप्रदेश में ऐसी ग्राम पंचायतों की संख्या **68** थी जहां ग्राम विकास योजनाओं की संख्या **2,600** थी और इनमें से **1,765** योजनाएं पूरी हुई।

निष्कर्ष / सुझाव :-

निसंदेह रूप से सांसद आदर्श ग्राम योजना का अन्य ग्रामीण विकास स्कीम चुनाव में समामेलन और कारपोरेट सामाजिक दायित्व स्वागत योग्य कदम है राज्य ,जिला औ ररा्ट्रीय स्तर पर प्रदान की गई तंत्रप्रणाली की मॉनिटरिंग भी नई पहल है क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है यद्यपि निम्नलिखित कदम भी उपरोक्त संदर्भ में सहायक सिद्ध हो सकते हैं

1. सांसद को निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत संस्थाओं को भी शामिल करना चाहिए ताकि उन्हें सही अर्थों में भागीदारी मिल सके
2. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान हैदराबाद को राष्ट्रीय स्तर पर सांसदों और अन्य विधायकों का क्षमता निर्माण कार्य शुरू करना चाहिए
3. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान ग्राम पंचायतों के सदस्यों और विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों की क्षमता निर्माण का कार्य सौंपा जा सकता है जिसके इस योजना के क्रियान्वयन से अधिक जुड़े रहने की संभावना है
4. सांसद ग्राम सांसद आदर्श ग्राम योजना को महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देकर इसे सहीअर्थों में समावेशी प्रकृति का बनाया जाना चाहिए इस योजना के अंतर्गत चुने गए गांव की वार्षिक विकास योजना को ग्राम पंचायतों,पंचायतसमिति,जिलापरिषद और जिला योजना समिति की वार्षिक योजना का एक हिस्सा बनाया जाना चाहिए

5. गांव की ग्रामसभा में विशेष जागरूकता अभियान चलाने चाहिए सांसद जिला प्रशासन अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्यकर्ताओं पंचायती राजसंस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं तकनीकी और संबंध विभागों के अधिकारियों स की मानसिकता को बदलने की जरूरत है

संदर्भ ग्रंथसूची:-

- Indian economy, 2015, Dutta and sundaram, S.Chand Publication., Page No.378
- Indian Economy 2016, uama and kapila, MaheshawariPublicaion ,Page No 123
- Indian Economy,Mishra and Puri, HimalyaPablication, Page No.239
- RBI Bulletan, 2018, Page No. 416
- कुरूक्षेत्र २०१४,ग्रामीण विकास को समर्पित, Page No. 15
- **योजना २०१५, कृषी विकास का प्रबंध,** Page No.12
- **Economic Development and Freedam,Amarth Sen, RajPal Publication 2018,Page No 213**
- **Economic inequality,Amarth Sen,Rajpal Publication 2019, apge No.124.**